न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
35/2019	प्रा0पत्र 136 RLRA	13.09.2019	27.09.2019

सांवरमल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू
2. शाखा प्रबन्धक महोदय, एस.बी.आई. (एस.बी.बी.जे.) मुख्य शाखा लाल घण्टाघर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 57 तादादी 6.4497 हैक्टेयर ग्राम कोटवाद नाथोतान तहसील चूरू में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लिछमणराम अंकित चला आ रहा है जो कि प्रार्थी के पिता को घर परिवार में लिछमण पुकारा जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण का स्वर्गवास होने के बाद उनका पैतृक इन्तकाल भी इसी आधार पर दर्ज हो गया जिससे आज भी प्रार्थी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लिछमणराम अंकित चला आ रहा है जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम लक्ष्मीनारायण है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् राशन कार्ड संख्या 00118, आधार कार्ड संख्या 967166358169, भामाशाह कार्ड संख्या 9999—STDO—00068, वोटर कार्ड सं. आर.जे./03/020/027065, पेन कार्ड संख्या KKAPS1891H एवं पी.पी.ओ. संख्या 116166 (R) में प्रार्थी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण अंकित है जो प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम है। प्रार्थी के नाम की खातेदारी कृषि भूमि एवं प्रार्थी के दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम भिन्न—भिन्न होने से के0सी0सी0 बनवाने के लिये बार—बार शपथ पत्र देना पड़ता है एवं पिता का नाम भिन्न होने से प्रार्थी किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में अपने पिता का गलत दर्ज नाम सही व दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पेश किया है। प्रार्थी ने खातेदारी कृषि भूमि में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने के अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया परन्तु अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.09.2019 को ऐसा करने से मना कर दिया इसलिए उनके खिलाफ वाद हैतुक एवं प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

होने से वाद कारण प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को भूमि धारक होने से तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि बैंक के रहन होने से अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार बनाया है परन्तु उनके हितों के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 57 तादादी 6.4497 हैक्टेयर रोही कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू में प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम लिछमणराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर कथन किया कि जवाब नहीं देना चाहते। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। जवाब बन्द किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के साथ वादगत कृषि भूमि की प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 एवं प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों की प्रतियां पेश की हैं जिससे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम कोटवाद नाथोतान के ख.नं. 57 तादादी 6.4497 हैक्टेयर में प्रार्थी के पिता का नाम लिछमणराम अंकित है। वादगत कृषि भूमि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चूरू के रहन दर्ज है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् यथा– राशन कार्ड संख्या 00118, आधार कार्ड संख्या 967166358169, भामाशाह कार्ड संख्या 9999–STDO–00068, वोटर कार्ड सं. आर.जे./03/020/027065, पेन कार्ड संख्या KKAPS1891H एवं पी.पी.ओ. संख्या 116166 (R) में प्रार्थी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण अंकित है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि व प्रार्थी के दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता के अलग–अलग नाम दर्ज हैं जिससे प्रार्थी को के.सी.सी. बनवाने एवं कृषि भूमि से सम्बन्धित अन्य सरकारी योजानाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के पिता को घर परिवार में लोग लिछमण के नाम से जानते पहचानते थे इसलिए राजस्व रिकार्ड में लिछमणराम नाम दर्ज हो गया जबकि उनका सही व दस्तावेजी नाम लक्ष्मीनारायण रहा है। इस प्रकार उक्त त्रुटि सहवन से होना प्रतीत होती है एवं लिपिकीय भूल की श्रेणी में ही आती है

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जिसको सही अंकित करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा पैरोकार राज ने कोई आपत्ति नहीं की है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से राजस्थान सरकार एवं रहनकर्ता बैंक के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 57 तादादी 6.4497 हैक्टेयर रोही ग्राम कोटवाद नाथोतान तहसील व जिला चूरू में प्रार्थी सांवरमल के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण अंकित करने का आदेश दिया जाता है। वादगत कृषि भूमि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चूरू के यथावत् रहन रहेगी। तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू